

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082020-221248 CG-DL-E-20082020-221248

असाधारण EXTRAORDINARY भाग 111-खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2020/ श्रावण 29, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2020/SRAVANA 29, 1942

No. 325]

## भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

### अधिसूचना

हैदराबाद, 17 अगस्त, 2020

#### बीमा सलाहकार समिति

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./ बी.स.स./2/168/2020.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम. 1999 (1999 का 41) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है:

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंडिकेट बैंक के स्थान पर बीमा सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स./8/159/2019 दिनांक 12 जुलाई, 2019 के अनुसार पुनर्गठित बीमा सलाहकार समिति के एक सदस्य थे।

डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./182/2020-21]

# INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 17th August, 2020

#### INSURANCE ADVISORY COMMITTEE

F. No. IRDAI/IAC/2/168/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority hereby makes the following notification:

Managing Director & Chief Executive Officer, Central Bank of India is appointed as Member of the Insurance Advisory Committee in place of Managing Director & Chief Executive Officer, Syndicate Bank who was one of the members of the Insurance Advisory Committee reconstituted vide Notification F. No. IRDAI/IAC/8/159/2019 dated 12th July, 2019.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman [ADVT.-III/4/Exty./182/2020-21]